

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मार्च २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. अखिल भारतीय सेवा पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन तथा बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट 2017-18 का आयोजन केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड द्वारा दिनांक 23 से 26 मार्च, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 349 खिलाड़ियों की कुल 32 टीमों ने भाग लिया।
  - ii. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और मारीशस लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को भारत सरकार के अनुमोदन को दिनांक 08 मार्च, 2018 के पत्र सं. 39011/01/2018-स्था.(ख) के माध्यम से संसूचित किया गया है।
  - iii. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के खंड-V में दिनांक 08 मार्च, 2018 के अधिसूचना जी.एस.आर. 216(ई) के माध्यम से संशोधन किया गया है।
  - iv. पीईएसबी, डीओपीटी ने सीएमडी/एमडी के 02 (दो) पदों तथा निदेशक के 08 (आठ) पदों के लिए विज्ञापन किया है।
  - v. माह मार्च के दौरान आईएसटीएम में 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 03 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-ई, स्तर-बी और एएसओडीआर) और 01 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-III) कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 681 थी।
2. उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :-
- (i) त्रिपुरा विधान सभा के आम चुनावों के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान करने के लिए दिनांक 09.03.2018 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12/3/2016-जेसीए-2 ।
  - (ii) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों का निपटान करने के लिए विसंगति समिति गठित करने के लिए दिनांक 14 मार्च का का.ज्ञा.सं. 11/2/2016-जेसीए जो परिभाषा के दायरे का विस्तार करने के संबंध में था।
  - (iii) विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) द्वारा पालन की जाने की प्रक्रिया के लिए मॉडल कैलेंडर संगत वर्ष जब तक कि एपीएआर पर विचार किया जाना है तथा डीपीसी आयोजित करने के लिए मॉडल कैलेंडर दिनांक 23 मार्च, 2018 के का.ज्ञा.सं. 22011/4/2013-स्था.(घ) के माध्यम से जारी किया गया।
  - (iv) पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सतर्कता अनापत्ति दिनांक 28 मार्च, 2018 के का.ज्ञा.सं. 11012/7/2017-स्था.क-III देने हेतु।

- (v) रेलवे कर्मचारियों तथा ऐसे सरकारी सेवकों जिनके जीवनसाथी रेलवे कर्मचारी हों, को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधा प्रदान के लिए दिनांक 27 मार्च, 2018 के का.ज्ञा.सं. 31011/15/2017-स्था.क-IV